कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष– संरक्षण), मध्यप्रदेश

प्रथम तल, सतपुड़ा, भवन, भोपाल – 462004

मॉक / एफ –8 / 10–10 / 1469 / भोपाल:दिनांक 22-4-2010

ति.

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश, भोपाल ।

य :- वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, अतिकमण, अवैध उत्खनन रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने बाबत ।

र्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमॉक 4027 दिनांक 28–10–2009

जैसा कि आपको विदित है कि विगत 6 माहों में मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों में वनों की अवैध कटाई , अतिकमण एवं अवैध उत्खनन की बड़ी घटनायें टित हुई हैं और अधिकांश प्रकरणों में यह तथ्य सामने आया है कि क्षेत्रीय अधिकारियों / कर्मचारियों के व्दारा अवैध कटाई, अवैध उत्खनन एवं वन क्षेत्र में तिकमण के प्रकरणों में पूर्व से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई । उदाहरण रूपः 1–श्योपुर वनमण्डल के अन्तर्गत अतिकमण के प्रयोजन से लगभग 60–65 टर क्षेत्र में अवैध कटाई कर वनों को अपूर्णनीय क्षति पहुॅचाई गई और मुख्यालय र से प्रकरण की जॉच करायी जाने पर यह तथ्य सामने आया कि वनमण्डल स्तर र इस प्रकरण पर पूर्व से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई और न ही इस गंभीर करण की जानकारी मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) को दी गई ।

– हरदा वनमण्डल के अन्तर्गत माह फरवरी,10 में लगभग 800–850 स्वस्थ्य वृक्षों की ध कटाई का प्रकरण सामने आया और इसकी जॉच भी मुख्यालय स्तर से कराना ड़ी ।

– देवास वनमण्डल के अन्तर्गत बागली, कन्नौद, देवास परिक्षेत्रों में राज्य स्तरीय ड़न दस्ता दल के व्दारा लगभग 2000 वृक्षों की अवैध कटाई का प्रकरण प्रकाश में

Ashr 27/4

आया एवं क्षेत्रीय वनाधिकारियों व्दारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने के तथ्य सामने आये । इसी प्रकार प्रदेश के विभिन्न वन क्षेत्रों से अवैघ कटाई, अतिक्रमण एवं अवैध उत्खनन की घटनायें दिन प्रति दिन प्रकाश में आ रही हैं ।

मेरे व्दारा विगत दिनों रायसेन वनमण्डल के सिलवानी एवं सागर वृत्त के वन क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वन सुरक्षा हेतु स्थापित की गई वन सुरक्षा चौकियों में किसी भी प्रकार सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी । वन सुरक्षा चौकियों में न तो पर्याप्त स्टाफ था और न ही हथियारों को रखने की समुचित सुरक्षित व्यवस्था देखी गई । इसके साथ साथ यह तथ्य भी उजागर हुआ कि बीट गार्ड ,सहायक परिक्षेत्र अधिकारी स्तर का वन अमला वन अपराधियों से भयभीत है और कुछ प्रकरणों में तो वन अपराधियों का नाम–पता ज्ञात होने के उपरान्त भी उनके व्दारा पी ओ आर लापता में जारी किये गये हैं । जो संसाधन एवं वाहन इत्यादि क्षेत्रीय वनाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है उनका उपयोग प्रभावी रुप से गश्ती के लिये नहीं किया जा रहा है । बीट रोस्टर के आधार पर बीटों की सघन जॉच एवं निरीक्षण की समीक्षा मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) व्दारा गंभीरतापूर्वक नहीं की जा रही है।

उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), वनसंरक्षक /वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) स्तर पर वनों की सुरक्षा के संबंध में सभुचित सुदृढ. प्रभावी कार्यवाही की अनेदेखी की जा रही है जिसके कारण वनों की हानि तो हो ही रही है साथ में विभाग की छबि भी राज्य स्तर पर धूमिल हो रही है । उपरोक्त स्थिति को सही दिशा प्रदान करने के लिये तथा वन अपराधों को प्रभावी रुप से रोकने के लिये निम्नानुसार निर्देश पुनः जारी किये जाते हैं :–

1– समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) अपने अधीनस्थ वनमण्डलों में वनों की सुरक्षा हेतु अति संवेदनशील एवं संवेदनशील वन क्षेत्रों के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करें कि बीट गार्ड, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी का कोई भी पद रिक्त न रहे। अगर आपके वृत्त में पद रिक्त हैं तो इन रिक्त पदों की समुचित जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन–2) को अतिशीध्र पदों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें एवं उसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) कार्यालय को भी दिनांक 30–4–2010 के पूर्व आवश्यक रुप से प्रेषित कर दी जाय ।

2– बीट रोस्टर के आधार पर बीट निरीक्षण की समीक्षा प्रति माह आवश्यक रुप से की जाय और जिन वनाधिकारियों के व्दारा बीट रोस्टर के आधार पर समुचित निरीक्षण नहीं किया जाता है तो उनके विरुध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किये जायें । बीट रोस्टर के आधार पर बीटों का संपूर्ण निरीक्षण किया जाय, आंशिक रुप से नहीं ।

3– समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) अपने अधिनस्थ वन मण्डलों में स्थापित की गई वन सुरक्षा चौकियों की समुचित व्यवस्था, जैसा कि पूर्व में मुख्यालय से निर्देशित किया गया है, 15 दिनों के अन्दर आवश्यक रुप से पूर्ण करावें । विशेषकर वन चौकियों में कम से कम एक चौकी प्रभारी, 2 वन रक्षक, 3 दैनिक श्रमिक संबंधित बीटों के बीट गार्ड के अलावा आवश्यक रुप से पदस्थ करके वन सुरक्षा चौकियों को प्रभावी बनाया जाय । प्रदाय की गई बन्दूकों एवं कारतूस आदि को सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें और इस संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय ।

4– समस्त वन सुरक्षा चौकियों में पीने के पानी, खाना बनाने , कुर्सी, टेबिल, चारपाई , प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

5– वन सुरक्षा चौकी को आवंटित वाहन कहीं और उपयोग न करते हुये वन सुरक्षा चौकी के अधिनस्थ अतिसंवेदनशील/. संवेदनशील वन क्षेंत्रों में गश्त के लिये उपयोग की जाय ।

6– जप्त वाहन जिनमें राजसात की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है , उन वाहनों का उपयोग वन चौकियों में वन सुरक्षा हेतु करने की अनुमति मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) नियमानुसार जारी करेगें ताकि प्रत्येक वन चौकी किसी न किसी प्रकार के वाहन से सुसज्जित रहे ।

7– मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) , वन संरक्षक/ वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) , उप वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय), परिक्षेत्राधिकारी (क्षेत्रीय) को किसी भी स्त्रोत से वनों की कटाई, आग की घटना, अवैध उत्खनन, वन क्षेत्रों में अतिकमण की कोई सूचना प्राप्त होती है तो ऐसी सूचना पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना प्रथम कर्तव्य होगा। समय पर सूचना मिलने के उपरान्त भी अगर उपरोक्त अधिकारियों के व्दारा वन क्षेत्रों में प्रभावी कार्यवाही को अनदेखा किया गया तो संबंधितों के विरुध्द कठोर से

कठोर कार्यवाही की जावेगी । कृपया इन निर्देशों से सर्व संबंधित को ~~आवश्यक रुप से~~ टीप करावा देवें ।

8— समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) यह सुनिश्चित करेगें कि उनके वृत्त के अन्तर्गत अति संवेदनशील वन क्षेत्रों का निरीक्षण परिक्षेत्र अधिकारी , उप वनमण्डलाधिकारी , वन मण्डलाधिकारी/ वन संरक्षक स्तर से प्रति माह आवश्यक रुप से कराया जाय । किसी भी स्थिति में एक माह से अधिक की अवधि बिना समुचित निरीक्षण के नहीं व्यतीत होना चाहिये । यह कार्यवाही मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) क्षेत्र का विवरण देते हुये संबंधित अधिकारियों को नामजद आदेश जारी करेगें ।

9— अवैध कटाई के प्रकरणों में मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) यह सुनिश्चत करेगें कि पी ओ आर प्रकरण पंजीबध्द किये जाने के साथ साथ ठूँठों की विधिवत ड्रेसिगं , पी ओ आर नंबर पेंट से ठूँठों पर लिखने तथा ठूँठों पर 2 जगह हैमर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाय । अगर किसी बीट में पी ओ आर प्रकरणों से संबंधित ठूँठों की ड्रेसिगं (प्रचलित विभागीय नियमों के अनुरुप) , पी ओ आर कमॉक एवं हैमर नहीं पाया गया तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी (क्षेत्रीय) की मानी जावेगी । अब यह परिक्षेत्र अधिकारी के नियंत्रण एवं प्रशानिक क्षमता पर निर्भर करता है कि वे अपने अधिनस्थ सहायक परिक्षेत्र अधिकारियों एवं बीट गार्डो से इस कार्यवाही को सुनिश्चित करवाते हैं या नहीं । यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इस कार्य पर होने वाले व्यय का भुगतान परिक्षेत्र अधिकारी एक सप्ताह की अवधि के अन्दर सुनिश्चित करेगें ।

11— पी ओ आर प्रकरण के अन्तर्गत जप्त की गई वनोपज , विशेषकर इमारती लट्ठे, चरपटे इत्यादि एक माह में शासकीय काष्ठागार में चालान के ब्दारा परिवहन किया जाना सुनिश्चित किया जावे । इन निर्देशों का पालन न होने को गंभीरता से लेते हुये संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी पर कार्यवाही की जावेगी । अगर किसी प्रकरण में पी ओ आर जारी होने एवं जप्त किये जाने की दिनांक से एक माह से अधिक की अवधि लगने की संभावना हो तो 15 दिन की समयावधि वन मण्डलाधिकारी से लिखित रुप से प्राप्त करेगें । इस प्रकार डेढ. माह की समयावधि में जप्त वनोपज का परिवहन शासकीय काष्ठागार में नहीं किया जाता है तो मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) से लिखित रुप में अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर जप्त वनोपज को काष्ठागार भेजा जाना अनिवार्य होगा और मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) ऐसे परिक्षेत्र

अधिकारियों के विरुध्द आवश्यक शासकीय कार्य में जानबूझ कर विलंब किये जाने के आरोप में उन्हें कारण दर्शाओं पत्र जारी करेगें जिसका समयावधि में उत्तर न दिये जाने पर संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी (क्षेत्रीय) पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ किये जाने की जिम्मेजारी मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) की होगी ।

12– वन अपराधों को प्रभावी रुप से रोकने के लिये वनोपज के परिवहन के लिये जारी किये जाने वाले शासकीय चालान तथा ट्रॉजिट पास एवं पी ओ आर बुक पर प्रभावी नियंत्रण अति आवश्यक है । यह नियंत्रण बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) यह सुनिश्चित करेगें कि उनके अधिनस्थ वनमण्डलों में अधिकृत रुप से जारी किये गये चालान बुक एवं ट्रॉजिट पुस्तकों , पी ओ आर बुक का ही उपयोग परिक्षेत्र अधिकारी , सहायक परिक्षेत्र अधिकारी तथा बीट गार्डो के व्दारा किया जाता है । इसके लिये यह आवश्यक है कि समस्त चालान बुक ट्रॉजिट पास बुक, एवं पी ओ आर बुक का पुनः पंजीयन करवाकर वन मण्डल कार्यालय से उप वनमण्डलाधिकारी या संलग्न अधिकारी की सील एवं हस्ताक्षर के साथ संबंधित सभी परिक्षेत्रों को सीमित मात्रा मे जारी किये जायें और यह सुनिश्चित किया जाय कि बीट स्तर एवं सहायक परिक्षेत्र स्तर पर एक चालान बुक, एक ट्रॉजिट बुक तथा एक पी ओ आर बुक ही एक समय पर उन्हें जारी की जाय और उनके कमॉक एवं पृष्ठों की संख्या परिक्षेत्र कार्यालय में संधारित किये जाने वाले रजिस्टर में दर्ज की जाती है । आवश्यकता पड़ने पर संबंधित बीट गार्ड , सहायक परिक्षेत्र अधिकारी एवं परिक्षेत्र अधिकारी चालान बुक, ट्रॉजिट पास बुक एवं पी ओ आर बुक की पुस्तकें संबंधित कार्यालयों से प्राप्त करेगें । उप वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) का यह व्यक्तिग दायित्व होगा कि उनके अधिनस्थ परिक्षेत्रों में चालान बुक, ट्रॉजिट पास बुक एवं पी ओ आर बुक सही समय पर सुचारु रुप से हस्ताक्षर एवं सील सहित निर्वाद रुप से जारी की जाती हैं और इन पुस्तिकों का मिलान प्रत्येक 3 माह में एक बार उनके व्दारा आवश्यक रुप से किया जाय । संबंधित वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) यह आदेश भी जारी करेगें कि उनके वनमण्डल के अन्तर्गत किस कमॉक से किस कमॉक तक चालान बुक, ट्रॉजिट पास बुक एवं पी ओ आर बुक (एक वर्ष के लिये) ही विधिमान्य होगी तथा इसके अतिरिक्त अगर कोई चालान बुक, ट्रॉजिट पास बुक एवं पी ओ आर बुक का उपयोग करता है तो वह नियमों एवं कानून के विरुध्द होगा और

उसे मान्यता नहीं दी जाय। इस प्रकार से वनोपज के ट्रॉजिट के ~~लिये तथा पी ओ~~ आर प्रकरणों को सही ढंग से पंजीबध्द करने के लिये तथा लायसेंस बुक को इशु किये जाने तथा इसके उपयोग किये जाने पर नियंत्रण स्थापित हो सकेगा और इसके विपरीत कार्य करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुध्द कठोर से कठोर कार्यवाही विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व्दारा की जावेगी । मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) यह सुनिश्चित करेगें कि अधिकृत रुप से जारी किये गये चालान बुक, ट्रॉजिट पास बुक एवं पी ओ आर बुक के अतिरिक्त कोई अन्य लायसेंस पुस्तकों का उपयोग उनके वनमण्डलों में नहीं हो रहा है और इस प्रकार की पुस्तकें किसी परिक्षेत्र, सहायक परिक्षेत्र या उप वनमण्डल में पूर्व से विद्‌यमान हों तो उन्हें वनमण्डल कार्यालय में जमा कराकर विधिवत रुप से पंजीकृत कर पुनः आवंटित की जायें । परन्तु यह सुनिश्चत करना होगा कि बीट गार्ड , परिक्षेत्र सहायक या परिक्षेत्र अधिकारी के पास एक समय पर एक ही पुस्तक का उपयोग किया जाता है । एक से अधिक पुस्तकें एक समय और दिनांक में उपयोग निषिध्द होगा । समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) इस कार्यवाही को अपने नियंत्रण में रखते हुये उपरोक्त निर्देशों का पालन बिना किसी व्यवधान उत्पन्न किये सुनिश्चित करायेगें ।

13–वन अपराधों की बढ़ती हुई संख्या इस बात की ओर इंगित करती है कि वन अधिकारी/ कर्मचारी अपने निर्धारित, मुख्यालय पर नहीं रहते हैं और मुख्यालय से अनुपस्थिति की जानकारी या इसके संबंध में अनुमति प्राप्त नहीं करते जिस कारण वनों में अवैध कटाई, आग की घटना, अवैध शिकार की घटनाओं में वृध्दि होती है । मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) एवं वनसंरक्षक/ वनमण्डलाधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिनस्थ वन क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी/ कर्मचारी अपने निर्धारित मुख्यालय पर ही रहते हैं । अगर इसके विपरीत स्थिति पाई गई तो संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) तथा संबंधित वन संरक्षक/ वनमण्डलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी । अगर आपके निर्देशों का कोई अधिनस्थ अधिकारी/ कर्मचारी उल्लघंन करता है तो ऐसे प्रकरणों की जानकारी बिना समय गवॉये अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) को आवश्यक रुप से प्रेषित करेगें ताकि ऐसे आदेशों का उल्लघंन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके । वन संरक्षक/ वनमण्डलाधिकारी

एवं मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) जब भी अपने मुख्यालय से कहीं बाहर ~~जाये तो उसकी~~ सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) को आवश्यक रुप से देगें अन्यथा उनके अधिनस्थ वन क्षेत्रों में गंभीर अपराध घटित होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी ठहराई जायेगी ।

14– वनों की सुरक्षा के स्थानीय लोगों का सहयोग अति आवश्यक है । स्थानीय लोगों से वनों की सुरक्षा हेतु सहयोग प्राप्त करने तथा वन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये वन सुरक्षा समितियों का गठन विगत वर्षो में वन विभाग के व्दारा किया गया है, परन्तु देखने में यह आया है कि वन सुरक्षा समितियॉ सक्रीय नहीं हैं और इन समितियों के अध्यक्ष एवं सचिवों का चयन भी नहीं किया गया है । मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) सर्वप्रथम समस्त अति संवेदनशील/ संवेदनशील वन क्षेत्रों के अन्तर्गत वन सुरक्षा समितियों का पुनर्गठन अतिशीध्र करें और वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) तथा अधिनस्थ वनाधिकारियों को यह निर्देश जारी करें कि प्रत्येक माह में 2 बार वन सुरक्षा समितियों की बैठकें आयोजित की जायें जिसमें संबंधित सहायक परिक्षेत्र अधिकारी एवं बीट गार्ड आवश्यक रुप में बैठकों में उपस्थित रहें । वन सुरक्षा समितियों की बैठकों में परिक्षेत्र अधिकारी(क्षेत्रीय) एवं उप वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) व्दारा भी समय समय पर उपस्थित रहकर स्थानीय लोगों को समझाइश दी जाय और वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों को वन सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायें । इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय और अति संवेदनशील तथा संवेदनशील वन क्षेत्रों के आसपास के गॉवों में वन सुरक्षा समितियों की जानकारी दी जावे तथा आयोजित की गई बैठकों की जानकारी से इस कार्यालय तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबन्ध) को अवगत कराया जाना सुनिश्चित् करें ।

उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय । मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगर उपरोक्त निर्देशों का पालन मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) सुनिश्चित करायेगें तो वन क्षेत्रों में बड़ रही वन अपराधों की संख्या में तत्काल कमी आवेगी और वनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों से समस्त परिक्षेत्र अधिकारी(क्षेत्रीय), उप वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/वन संरक्षक (क्षेत्रीय) आवश्यक रुप से अवगत कराने की जिम्मेदारी मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) की होगी । कृपया उपरोक्त

निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें एवं इस पत्र की पावती इस कार्यालय ~~को भेजने का~~ कष्ट करें ।

Ashu 22/4/10

(ए एस अहलावत)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश,भोपाल

पृ0क्रमॉक / एफ–8 / 10–10 / 2010 / 1470 / भोपाल :दिनांक-22/4/2010

प्रतिलिपिः–

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक , मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

2– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबन्धन) मध्यप्रदेश, भोपाल ।

3– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता / शिकायत) मध्यप्रदेश, भोपाल ।

Ashu 22/4/10

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश,भोपाल